

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Ghaziabad Branch Office**

Our Ref: GZBO/ IS 811

Date: 30.01.2018

Subject: All India First Application as per IS 811:1987

GZBO has received an application under **Normal procedure** for grant of licence to use of BIS standard mark on the product "Cold formed light gauge structural steel Sections" as per IS 811:1987.

As per the information obtained from BIS Website, circulars of CMD's to ROs/ BOs are the following is observed:

1. No BIS licence exists for the above mentioned product.
2. No other BIS application is pending for the above mentioned
3. Marking fee, STI & grouping guidelines are not available for the product.
4. No test facility exists at BIS laboratory, OSL lab.

Therefore, this application may be considered to be all India First Application for the above product.

CMD-2 is requested to provide us with relevant grouping guidelines, STI, Marking fee, if any prevailing for this product.

All ROs and BOs are requested to send information regarding the above product by return mail/e-mail with respect to any application pending at their end or any other information which may be helpful to process the application.

CL/LPPD is requested to confirm the availability of testing facilities & testing charges as per IS 811:1987

Ramakanth Sagar. M
Sc-C, GZBO

Head (GZBO)

DDG (CRO)

Head (CMD-2)/ Head (LPPD)/Head ROs/ Head BOs

ITSD- for circulation on Intranet

भारतीय मानक ब्यूरो
(गाजियाबाद शाखा कार्यालय)

संदर्भ : गाशाका/ भा. मा. 811:1987

दिनांक 30.01.2018

विषय : भा मा 811:1987 के अनुसार भारत का प्रथम आवेदन ।

गाजियाबाद शाखा कार्यालय को भा मा 811:1987 के अनुसार शीत के गठन के हल्के गेज संरचनात्मक इस्पात अनुभाग के लिए आवेदन पत्र सामान्य प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है ।

भारतीय मानक ब्यूरो के वेबसाईट से प्राप्त सूचना के आधार पर एवं केन्द्रीय मुहर विभाग के परिपत्र सीएमडी-2 क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों के अनुसार ज्ञात होता है कि आज तक:

1. उपरोक्त उत्पाद के लिए कोई भी आईएस लाईसेंस अस्तित्व में नहीं है ।
2. उपरोक्त उत्पाद के लिए अन्य कोई आवेदन बीआईएस में लम्बित नहीं है ।
3. उपरोक्त उत्पाद के लिए मुहरांकन शुल्क एवं निरीक्षण योजना (एसटीआई) उपलब्ध नहीं है ।
4. भारतीय मानक ब्यूरो तथा बाहरी प्रयोगशालाओं में इस उत्पाद की जाँच सुविधायें उपलब्ध नहीं है ।

अतः इस आवेदन को उक्त वर्णित उत्पाद के लिए भारत में प्रथम आवेदन के रूप में माना जा सकता है ।

सीएमडी, एलपीपीडी समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, समस्त शाखा कार्यालयों से निवेदन है कि यदि उपरोक्त विषय में कोई भी आवश्यक सूचना/जानकारी जो कि इस आवेदन के संचालन मे आवश्यक हो तो कृपया रिटर्न मेल से गाजियाबाद शाखा कार्यालय को भेजने की कार्यवही करें ।

(रामाकान्त सागर)

वैज्ञानिक सी, गा0शा0का0

प्रमुख, गा0शा0का0

उपमहानिदेशक (केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय)

प्रमुख(सीएमडी-2)/प्रमुख, एलपीपीडी/प्रमुख क्षे0का0/प्रमुख शाखा कार्या0

आईटीएसडी - इन्ट्रानेट पर परिचालन हेतु